

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(13) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2019/5916-39

जयपुर, दिनांक 29/07/19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़,  
पाली, चूरू एवं नागौर।


विषय- खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य पशुपालकों एवं भूमिहीन किसानों के गौवंश हेतु संचालित गौसंवर्द्धन गतिविधि यथा घोषित पशु शिविर एवं पशुशिविर में संधारित गौवंश हेतु देय राहत सहायता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य पशुपालकों एवं भूमिहीन किसानों के गौवंश को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु गोपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गई राशि 30.00 करोड़ में से गौसंवर्द्धन गतिविधियों हेतु विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 4571-80 दिनांक 21.6.19 द्वारा पशुशिविर एवं पत्र क्रमांक 4561-70 दिनांक 21.6.19 द्वारा घोषित पशुशिविर संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त पशुशिविरों एवं घोषित पशुशिविरों में संधारित गौवंश को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुरूप ही छोटे पशु को 35/- प्रतिदिन एवं बड़े पशु को 70/- रुपये प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। पशुआहार उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में तदनुसार कटौति करते हुए सहायता राशि का भुगतान किया जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।

10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर।
12. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरु एवं नागौर।
14. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
15. उपनिदेशक, आरआईएसएल, योजना भवन, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
~~संयुक्त शासन सचिव~~